

# कार्यालय नगर पालिका परिषद, बिसौली (बदायूँ)

पत्रांक:-734 / न0पा0परि0बि0 / ई-नि0सू0 / 2025-26 / दिनांक:- 23.03.2026

## ई-निविदा सूचना

समस्त अर्ह फर्मों/ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, बिसौली द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं नगर निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु ई-निविदा प्रणाली के अन्तर्गत ई-निविदा पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर दिनांक 15.04.2026 को अपरान्ह 01.00 बजे तक ई-निविदायेँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदाओं/निविदा शर्तों से सम्बन्धित समस्त प्रकार की जानकारी ई-निविदा पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर दिनांक 24.03.2026 को प्रातः 09.00 बजे से प्रसारित होगी तथा बिड अपलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे तथा यदि उक्त निविदाओं/निविदा शर्तों/निविदा तिथियों में कोई संशोधन होता है, तो उसकी सूचना ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से ही प्रसारित की जायेगी। निर्धारित तिथि/समय को प्राप्त ई-निविदायेँ निविदादाताओं एवं निविदा कमेटी के समक्ष दिनांक 15.04.2026 को अपरान्ह 04.00 बजे से खोली जायेगी। उक्त से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय नगर पालिका परिषद बिसौली से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

सूचित हों।

(रवि यादव)  
अधिशाली अधिकारी  
नगर पालिका परिषद  
बिसौली (बदायूँ)

(अबरार अहमद)  
अध्यक्ष  
नगर पालिका परिषद  
बिसौली (बदायूँ)

- प्रतिलिपि:-
1. अपर जिलाधिकारी (प्र0) महोदय, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, बदायूँ को सादर सूचनार्थ।
  2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, बदायूँ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा सूचना जनपदीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
  3. विज्ञापन प्रबन्धक, **अमर उजाला समाचार पत्र बरेली एवं अमर प्रभात समाचार** पत्र, बदायूँ को इस आशय से प्रेषित निविदा सूचना का कम से कम स्थान में सरकारी दरों पर प्रकाशन कर, बाद प्रकाशन अखबार की तीन प्रतियों सहित बिल वास्ते भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करें।
  4. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।
  5. कम्प्यूटर आपरेटर, नगर पालिका परिषद बिसौली को इस आशय से प्रेषित की उक्त निविदा को पालिका की वेबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु।

अधिशाली अधिकारी  
नगर पालिका परिषद  
बिसौली (बदायूँ)

**निविदा पत्रांक 734दिनांक 23.03.2026 के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का विवरण:-**

कार्य का विवरण	आंगणन राशि ( जीएसटी सहित)	अनुमानित आंगणन राशि (G.S.T रहित)	धरोहर राशि 10 प्रतिशत	निविदा का मूल्य (G.S.T सहित) + पोर्टल शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1. वार्ड नं0-3 में सर्वेश के मकान से देव नरदेश के मकान तक एवं धर्मपाल के मकान के सामने से अतर सिंह के मकान तक मिट्टी खडन्जा से सड़क निर्माण कार्य	722636.00	612403.00	61300	650+182+250= 1082	90 Days
2. वार्ड नं0-25 में आलोक सीमेन्ट वालों की पुलिया से एस0बी0आई0 ग्राहक सेवा केन्द्र डिवाइडर तक सी0सी0 से सड़क निर्माण कार्य	973074.00	824639.00	82500	850+238+250= 1138	90 Days
3. वार्ड नं0-14, 15 में दिलशाद के मकान से नासिर के मकान तक सी0सी0 से सड़क निर्माण कार्य	1492805.00	1275287.00	127600	1300+364+250 =1914	90 Days
4. वार्ड नं0-14, 15 में अलीजान के मकान से मुस्ताक के मकान तक सी0सी0 से सड़क निर्माण कार्य	1732475.00	1481795.00	148200	1500+420+250 =2170	90 Days
5. वार्ड नं0-14 में बनवारी के मकान से सुम्मेरी की झोपड़ी तक नाला मरम्मत कार्य	703421.00	643332.00	64400	650+182+250= 1082	90 Days
6. नगर बिसौली के समस्त वार्डों में सी0सी0 पैचवर्क मरम्मत का कार्य	916822.00	776968.00	77700	800+224+250= 1274	90 Days
7. वार्ड नं0-19 में अहमद नबी के मकान से मुशाहिद के प्लाट होते हुए चमन ड्राइवर के मकान तक इन्टरलॉकिंग से सड़क एवं नाली निर्माण कार्य	932669.00	790397.00	79100	800+224+250= 1274	90 Days
8. वार्ड नं0-17 में रहीस अहमद के मकान से सरवर के मकान तक इन्टरलाकिंग से सड़क निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य	535573.00	453875.00	45900	500+140+250= 890	90 Days
9. वार्ड नं0-04 में गाटा संख्या..... खाली पड़ी भूमि की बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य	1424015.00	1206792.00	120700	1250+350+250 =1850	90 Days
10. वार्ड नं0-19 में बाउन्ड्रीवॉल एवं ट्यूबवैल कमरे का निर्माण कार्य	1576462.00	1335985.00	133600	1350+378+250 =1978	90 Days
11. वार्ड नं0-13 में मा0 कांशीराम आवास रोड पर मनोज कुमार के मकान से आसफपुर रोड तक इन्टरलॉकिंग से सड़क व नाली निर्माण कार्य	905674.00	767520.00	76800	800+224+250= 1274	90 Days
12. वार्ड नं0-20 में राजवीर मौर्य की चक्की से ट्रान्सफार्मर वाली पुलिया तक सी0सी0 से सड़क निर्माण कार्य	1073301.00	909577.00	91000	950+266+250= 1466	90 Days
13. वार्ड नं0-17 में शाहनवाज काजी के मकान से अनीस के मकान तक इन्टरलॉकिंग से सड़क व नाली निर्माण कार्य	1259899.00	1067711.00	106800	1100+308+250 =1658	90 Days
14. वार्ड नं0-10 प्रदीप रस्तोगी के मकान से प्रमोद कुमार के मकान तक इन्टरलॉकिंग से सड़क व नाली निर्माण कार्य	2230458.00	1890218.00	189300	1900+532+250 =2682	90 Days
15. वार्ड नं0-03 शिव कालौनी में अतुल के मकान के सामने से विवेक के मकान होतु हुए विशाल के मकान से सरोज देवी के मकान तक एवं लिंग गलियों में मिट्टी खडन्जा से सड़क निर्माण कार्य	1227016.00	1039844.00	104000	1050+294+250 =1594	90 Days


16. वार्ड नं0-03 शिव कालौनी में अतुल के मकान के सामने वाले प्लाट से शिवा के मकान होते हुए वीरेश के मकान तक एवं शिवम के मकान से अंकित के मकान तक मिट्टी खडण्जा से सड़क निर्माण कार्य	1177725.00	998072.00	99900	1000+280+250 =1530	90 Days
17. वार्ड नं0 3 में दबतोरी रोड पर बदन सिंह की दुकान से गौरव के मकान होते हुये राजेश के मकान तक इन्टरलॉकिंग से सड़क व नाली निर्माण कार्य	1057808.00	896447.00	89700	900+252+250 =1402	90 Days
18. वार्ड नं0 10 में साई कालौनी में अनिल शर्मा के मकान से नीरज उपाध्याय के मकान तक इन्टरलॉकिंग से सड़क व नाली निर्माण कार्य	580087.00	491599.00	49200	500+140+250 =890	90 Days
19. वार्ड नं0-03 में शिव कालौनी में गली नं0-01 में बदन सिंह के मकान से मुनेन्द्र के मकान तक इन्टरलॉकिंग से सड़क व नाली निर्माण एवं अमर सिंह के मकान से सतेन्द्र ठा0 के मकान तक व लिंक गली में मिट्टी खडण्जा से सड़क निर्माण कार्य	556122.00	471290.00	47200	500+140+250 =890	90 Days
20. वार्ड नं0-03 में सर्वेश शर्मा के मकान से दबतोरी आवला बाईपास रोड तक नाली निर्माण कार्य	898861.00	761747.00	76200	800+224+250= 1274	90 Days
21. वार्ड नं0-3 शिव कालौनी में गली नं0-1 में मुनेन्द्र के मकान से अतुल के मकान होते हुए अनिल के मकान तक एवं वेदराम के मकान से पहलवान के मकान तक मिट्टी खडण्जा से सड़क निर्माण कार्य	640388.00	542701.00	54300	550+154+250 =954	90 Days
22. वार्ड नं0-20 में युधिष्ठिर मौर्य के मकान से गगन प्रताप के मकान तक इन्टरलॉकिंग से सड़क व नाली निर्माण कार्य	578471.00	490229.00	49100	500+140+250 =890	90 Days


### नियम व मुख्य शर्तें

- निविदादाताओं द्वारा ई-टेंडरिंग प्रणाली के अन्तर्गत समस्त निर्धारित निविदा प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि जमा सम्बन्धी प्रमाण पर ट्रान्जेक्शन नम्बर, टैण्डर आई0डी0 अंकित कर निविदा प्रपत्रों के साथ अपलोड किया जायेगा तथा **दिनांक 15.04.2026 को अपरान्ह 01.00 बजे से 4:00 बजे के मध्य** निविदादाता द्वारा मूल निविदा समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियों सहित हार्ड कॉपीज़ व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी तथा **इस निविदा के नियम व मुख्य शर्तों को बिड अपलोड करते समय हस्ताक्षर कर अपलोड किया जायेगा।** यदि निविदादाता द्वारा उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो प्रस्तुत निविदाओं पर स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जायेगा साथ ही सम्बन्धित के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- निविदादाताओं को उक्त कार्य की निविदा प्रपत्रों के साथ **10 प्रतिशत धरोहर राशि (जमानत राशि) आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 / ई पेयमेन्ट** के माध्यम से नगर पालिका परिषद, बिसौली के भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बिसौली (बदायूँ) में संचालित खाता सं0-**11491354094 (IFSC&SBIN0000598)** में जमा करते हुए जमा विवरण की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। कूट रचित फर्जी धरोहर राशि का प्रमाण स्कैन कर अपलोड करने पर स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जायेगा साथ ही सम्बन्धित के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- समस्त निविदादाताओं को निविदा मूल्य+जी0एस0टी0 एवं पोर्टल फीस की राशि सहित इस निकाय के भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बिसौली (बदायूँ) में संचालित खाता सं0-**11491354094 (IFSC&SBIN0000598)** में आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा तथा निविदा मूल्य रसीद पर रीमार्कस में **(टैण्डर आईडी-अंतिम चार अंक)** एवं ठेकेदार/फर्म का नाम अंकित कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

4. समस्त निविदादाताओं को निविदा मूल्य+जी0एस0टी0 एवं पोर्टल फीस की राशि सहित इस निकाय के भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बिसौली (बदायूँ) में संचालित खाता सं0-11491354094 (IFSC&SBIN0000598) में आर0टी0जी0एस0/ एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा तथा निविदा मूल्य आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 फार्म के द्वारा जमा करते समय रीमार्क्स में **टैण्डर आईडी-अंतिम चार अंक** एवं ठेकेदार/फर्म का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाताओं को अपनी निविदा के साथ स्वयं प्रमाणित अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण-पत्र, आयकर पंजीकरण प्रमाण-पत्र (पैन) एवं श्रम विभाग में अधिष्ठान के पंजीकरण का प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता के अधिष्ठान का पंजीकरण एवं उ0प्र0 भवन निर्माण एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 एवं उ0प्र0 नियमावली 2009 के अन्तर्गत श्रम विभाग में श्रमिकों (लेबर) का पंजीकरण होना अनिवार्य होगा।
7. निविदा की दरें समान होने की दशा में उनका निस्तारण लाटरी पद्धति से किया जायेगा।
8. भवन निर्माण/स्थापना कार्य की निविदा स्वीकृति उपरान्त निविदादाता द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भवन निर्माण कार्य का अनुरक्षण/रखरखाव योजनान्तर्गत उल्लिखित शर्तों के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात कार्य की गुणवत्ता सन्तोषजनक पाये जाने पर ही अनुबन्ध के साथ जमा 10 प्रतिशत जमानत धनराशि वापिस होगी।
9. निविदादाता को शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी0सी0-2 दिनांक 08 जून, 2012 के अनुपालन में नियमानुसार अतिरिक्त परफोर्मेंन्स गारन्टी से सम्बन्धित नियमों का पालन करना होगा। कार्य की लागत की 05 प्रतिशत धनराशि परफोर्मेंन्स गारन्टी के रूप में 01 वर्ष तक रोकने के उपरान्त निर्मित कार्य का सन्तोषजनक रख-रखाव पाये जाने की दशा में ही सम्बन्धित निविदादाता को इसका भुगतान किया जायेगा।
10. निविदादाताओं को निर्माण से सम्बन्धित शासनादेश एवं समय-समय पर जारी विभिन्न नियमों का अनुपालन पूर्ण रूप से सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
11. तकनीकी बिड के मानक पूर्ण होने के उपरान्त ही फाइनेन्शियल बिड पर विचार किया जायेगा।
12. निविदा स्वीकृति उपरान्त यदि निविदादाता द्वारा कार्य करने से इन्कार किया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त करते हुए सम्बन्धित निविदादाता की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा पालिका पर पड़ने वाला अतिरिक्त व्ययभार का इन्कार करने वाले निविदादाता की जनरल जमानत से वसूल किया जायेगा।
13. निविदा स्वीकृति उपरान्त नियत स्टाम्प पर निविदादाता को स्वयं के व्यय पर पालिका के साथ निर्धारित अवधि में अनुबन्ध गठित करना होगा।
14. निविदादाताओं को 100रु0 के स्टाम्प पर फोटोयुक्त घोषणा-पत्र इन शर्तों के साथ कि वह किसी भी संस्था से ब्लैक लिस्टिड नहीं हुए हैं तथा साथ ही उन पर कोई आपराधिक मुकद्दमा व माफिया आदि गतिविधियों के रूप में कोई वाद उनके विरुद्ध किसी मा0 न्यायालय में पंजीकृत नहीं है, ई-निविदा के साथ संलग्न करना होगा, जिसका प्रारूप कार्यालय से कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही निविदादाता को शपथ पत्र में यह घोषणा करनी होगी कि हैसियत प्रमाण पत्र में दर्शाई गई सम्पत्ति का कोई अंश विक्रय/दान नहीं किया गया है।
15. ठेकेदार/फर्म को भवन निर्माण/सड़क निर्माण कार्य को लोक निर्माण विभाग की विस्तृत विशिष्टियों एवं मानक के अनुरूप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार तथा समय समय पर जारी शासकीय गाइड लाइन के अनुरूप पूर्ण कराना होगा।
16. निविदादाता द्वारा भवन निर्माण में सीमेंट, स्टील, कंक्रीट, ईट, पत्थर कई तरह की सामग्री का इस्तेमाल एवं फॉर्मवर्क, क्लैडिंग, फिक्स्चर, और बाहरी फिनिशिंग कार्य, विद्युतीकरण एवं जलकल व्यवस्था मानक एवं मॉडल डिजाइन के अनुसार ही पूर्ण कराया जायेगा।
17. भवन निर्माण में अग्नि प्रतिरोध, सुरक्षा, और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का ध्यान रखना ज़रूरी होगा।
18. निविदा स्वीकृति उपरान्त ठेकेदार/फर्मों को निर्माण कार्य ऐज-टू-ऐज कराना होगा अर्थात् सड़कों के दोनों ओर नाली से नाली तक सड़क निर्मित करानी होगी। सड़क के साथ निर्मित नाली में जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करानी होगी कि जल निकासी हेतु स्लोप (ढाल)/प्रवाह किस ओर है जल निकासी में कोई अवरोध उत्पन्न न होने पाये। निर्धारित मानक के अनुरूप Factory made 80mm thick interlocking cement concrete tiles having cap. Strength 30mpa including 25mm thick compacted bed of fine sand compacting and proper embedding/laying tiles leveling and dressing of surface to required level slop इण्टरलॉकिंग टाइल्स से निर्माण कार्य कराया जाये। इण्टरलॉकिंग टाइल्स सड़क निर्माण में तब लगायी जायेगी जब उसकी लोक निर्माण विभाग, बदायूँ तकनीकी अन्वेषण प्रयोगशाला में स्ट्रेन्थ जाँच करा ली जायेगी।

19. इसके अतिरिक्त ठेकेदार/फर्म द्वारा निर्माण में प्रयुक्त भट्टे की ईट, चिनाई में प्रयुक्त मसाला सामग्री आदि की जाँच लोक निर्माण विभाग, बदायूँ/अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की प्रयोगशाला से करायी जायेगी। ठेकेदार/फर्म द्वारा स्वीकृत किये गये कार्य का विवरण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कार्यस्थल पर सदृश्य स्थान पर स्थापित सूचनापट Display Board पर अंकित जायेगा, जिसमें कार्यदायी संस्था का नाम, योजना का पूर्ण विवरण, निर्माण कार्य का नाम, कार्य प्रारम्भ होने व कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि का उल्लेख, अनुमानित लागत आदि अंकित किया जायेगा।
20. शासन के निर्देशों के अनुरूप आयकर, रॉयल्टी, जी0एस0टी0-टी0डी0एस0, सेसकर उपकर आदि की व्यवस्था लागू रहेगी। ठेकेदार/फर्म को निर्माण कार्यों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री रेत, बंजरी बालू, पत्थर की गिट्टी (Coarse sand/Fine sand/Stone grit etc) इत्यादि खनिज मैटेरियल के सापेक्ष रॉयल्टी मद में रोकी गयी धनराशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु नियमानुसार अन्य राज्यों से आने वाले उपखनिजों परिवहन पर अभिवहन प्रपत्र अर्थात् वैध परिवहन प्रपत्र (ई0एम0एम0-11)/रवन्ना प्रस्तुत करने होंगे। परिवहन पत्र वैध/सही पाए जाने पर ही ठेकेदार के बिल से रायल्टी मद में रोकी गयी धनराशि सम्बन्धित को वापस कर दी जायेगी। अन्यथा अद्यतन शासनादेश के अन्तर्गत नियमानुसार बीजक से रायल्टी एवं पैनाल्टी काटी जायेगी तथा सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा करा दी जायेगी।
21. निविदादाता के पक्ष में नियमानुसार निविदा न्यूनतम होने के उपरान्त, यदि निविदादाता का पंजीकरण इस निकाय में नहीं है, तब ऐसी दशा में निविदादाता को पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क अंकन-31,000/- रु. डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई-बैंकिंग के माध्यम से अदा कर पंजीकरण सम्बन्धी समस्त दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे, उसके उपरान्त ही नियमानुसार अनुबन्ध गठित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी एवं कार्यदेश निर्गत किया जायेगा।
22. निविदा स्वीकृति उपरान्त ठेकेदार/फर्म द्वारा कराये गये निर्माण/अधिष्ठापन कार्य भुगतान से पूर्व सक्षम स्तर/जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित कमेटी से तकनीकी जाँच करानी होगी।
23. इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वह नियमित रूप से वैब साइट (<https://etender.up.nic.in>) को देखते रहें, क्योंकि निविदाओं के संबंध में कोई बदलाव अथवा कृत सूचना उक्त वैब साइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
24. एकल अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
25. उक्त कार्यों की विशिष्टियों से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में की जा सकती है।
26. टेक्निकल फाइनैन्शियल बिड फॉर्म, 100 रुपये का स्टाम्प पर स्व घोषणा पत्र नोटरी सहित मय रसीदी टिकट बिड के साथ डाली गयी अथवा भविष्य में किसी प्रकार की सेवाओं /शर्तों में परिवर्तन हेतु नियम व शर्तें स्वीकृत के सम्बन्ध में सहमति पत्र अपने संस्था का लेटर पैड पर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
27. निविदादाता को अपनी फर्म/ठेकेदारी का पिछले वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर जो कि निविदा डाले गये कार्य की निर्माण लागत से दो गुना हो की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वार्षिक टर्न ओवर सर्टिफिकेट जोकि चार्टर्ड एकाण्टेंट से प्रमाणित हो एवं मासिक जीएसटी रिटर्न तथा आयकर रिटर्न से सम्बन्धित आईटीआर दाखिल करने का प्रमाणक बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
28. निविदादाता को नगर पालिका अथवा नगर पंचायत में निर्माण कार्य कराने का पंजीकरण एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
29. ठेकेदार अथवा फर्म की बिड कैपीसिटी निविदा लागत से अधिक होनी चाहिए।
30. ठेकेदार अथवा फर्म के पास उक्त निर्माण कार्यों को कराने के लिए पर्याप्त मशीनरी आदि एवं तकनीकी कार्मिक होने का प्रमाण निविदा प्रपत्रों में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

  
अधिसासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद  
बिसौली (बदायूँ)

  
अध्यक्ष  
नगर पालिका परिषद  
बिसौली (बदायूँ)